हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 19 अगस्त, 2010

संख्याः वि0स0/1–41/2010.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 18) जो दिनांक 19 अगस्त, 2010 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव ।

2010 का विधेयक संख्यांक 18

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 13) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह 23 जुलाई, 2010 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (v) के उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"(ख) मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं से –पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

(ग) बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं से – बीस प्रतिशत की दर से,''।
(100 किलोवाट से अधिक सम्बद्ध भार)

2010 के अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्रवाई या बात, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 11(2) राज्य सरकार को घरेलू और अन्य प्रवर्ग के उपभोक्ताओं की बाबत विद्युत शुल्क की दरों को, अधिसूचना द्वारा, इस शर्त के अध्यधीन पुनरीक्षित करने के लिए सशक्त करती है कि ऐसी पुनरीक्षित दरें, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 में वर्णित दरों के पचास प्रतिशत से अधिक न हों। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2009 में घरेलू और अन्य प्रवर्गों की बाबत विद्युत शुल्क की दरें पुनरीक्षित की थीं। राज्य के लिए आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के आशय से मध्यम दर्जे के औद्योगिक उपभोक्ताओं की बाबत, विद्युत शुल्क की दरों को तेरह प्रतिशत से पन्द्रह प्रतिशत प्रति यूनिट और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की बाबत तेरह प्रतिशत से बीस प्रतिशत प्रति यूनिट पुनरीक्षित करना आवश्यक समझा गया है। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अंतिम टैरिफ को पड़ोसी राज्यों के लगभग समान करने के लिए विद्युत शुल्क में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। विद्युत शुल्क में इस वृद्धि, जिससे चालू टैरिफ स्तरों पर पच्चीस पैसे का या इसके आसपास प्रभाव पड़ेगा, के बावजूद भी ये दरें अन्य राज्यों से काफी कम रहेंगी। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 में संशोधन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश संख्यांक 3) तारीख 20–07–2010 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे तारीख 23–07–2010 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था। अब उपरोक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :....., 2010

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, मध्यम दर्जे के औद्योगिक उपभोक्ताओं और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की बाबत विद्युत शुल्क दरों को क्रमशः तेरह प्रतिशत से पन्द्रह प्रतिशत तथा तेरह प्रतिशत से बीस प्रतिशत प्रति यूनिट की दर से पुनरीक्षित करने के लिए है। इस प्रकार इससे राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग 42 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय होगी।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग नस्ति संख्याः एम.पी.पी.–ए (4)11/2008-I लूज)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2010 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

Bill No. 18 of 2010

THE HIMCHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 (Act No 13 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commence-ment.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Act, 2010.

(2) It shall be deemed to have come into force on 23rd July, 2010.

Amend-ment of section 3.

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009, in sub-section (1), in clause (v), for sub-clause (b), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(b)	medium industrial consumers	— @ 15%,
(c)	large industrial consumers (above 100 KW connected load)	— @ 20%,".

Repeal of Ordinance No. 3 of 2010 and saving.

3. (1) The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Ordinance, 2010 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 11(2) of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 empowers the State Government to revise the rate of electricity duty in respect of domestic and other categories of consumers, by notification, subject to the condition that such revised rates shall not exceed the rates mentioned in section 3 of the Act *ibid* by more than 50%. The State Government in exercise of the powers conferred by section 11 of the Act had revised the rates of electricity duty in respect of domestic and other categories in 2009. In order to mobilize additional resources for the State, it has been considered necessary to revise the rates of electricity duty in respect of medium industrial consumers from 13% to 15% per unit and in respect of large industrial consumers from 13 % to 20% per unit. The increase in electricity duty has been proposed to bring final tariff for industrial consumers close to that in the neighbouring States. Even after this increase electricity duty which will have an impact of 25 paisa or so at current tariff levels, rates will continue to be much lower than other States. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

Since the State Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 had to be amended urgently, therefore, the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Ordinance, 2010 (H.P. Ordinance No. 3 of 2010) was promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 20.07.2010 which was published in Rajpatra Himachal Pradesh on 23rd July, 2010. Now, the said ordinance is to be replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
CHIEF MINISTER.

SHIMLA :

The ……..., 2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to revise the rates of electricity duty in respect of medium industrial consumers and large industrial consumers only from 13% to 15% and 13% to 20% per unit respectively. As such there will be additional income of about above Rs. 42 Crores per annum to the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF CONSTITUTION OF INDIA

(MPP & Power Department File No. MPP–A-(4) 11/2008-I (Loose)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Amendment Bill, 2010, recommends under article 207 of the Constitution of India the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.